

बिहार सरकार  
कृषि विभाग  
आदेश

125

संचिका संख्या-2 (गो०) सी०-2-177/16

कृ०/पटना, दिनांक

2018

श्री सनत कुमार जयपुरियार, (बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य), वर्ग-2) तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित को जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना में चयनित फर्म Natural Organic Certification Association (NOCA) को प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपये का भुगतान किये जाने के पश्चात अनुश्रवण के अभाव में शर्तों के अनुरूप कार्य सम्पन्न करवाने में विफल रहने एवं अन्य आरोपों के कारण श्री जयपुरियार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित रहने की स्थिति में उन्हें अधिसूचना संख्या-571 दिनांक 17.11.2016 द्वारा निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या-637 दिनांक 22.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा को निलंबन मुक्त करते हुए एवं आरोप से मुक्त तथा निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा को प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करते हुए निलंबन मुक्त करने एवं निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान करने का निदेश दिया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रवीन्द्र नाथ राय)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2018

प्रतिलिपि- श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2018

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-1, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

124

ज्ञापांक /कृ०, पटना, दिनांक 2018  
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक /कृ०, पटना, दिनांक 2018  
प्रतिलिपि— संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना/सहरसा/कोषागार पदाधिकारी,  
पटना/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक /कृ०, पटना, दिनांक 2018  
प्रतिलिपि:— प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के  
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० सहित प्रेषित।

ह०/-


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 666 /कृ०, पटना, दिनांक 01-10-2018  
प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

D. D. D. D.

22-9-18

सरकार के विशेष सचिव

  
28.09.18  
o/c